

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 23.2.15 के द्वारा जारी निम्न अधिकारी के सेवा निवृत्ति आदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र-6 में संशोधित करते हुए जारी किए जाते हैं।


प्रपत्र - 6

श्री/श्रीमती/कुमारी निम्नानुसार जो प्राध्यापक शिक्षा प्रसार अधिकारी के रूप में शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, को 60 वर्ष की अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृत्ति की दिनांक से) सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पदस्थापन	जन्मतिथि	सेवा निवृत्ति तिथि
1	पुरुषोत्तम भट्ट, बीईईओ, गढी, बांसवाड़ा	01.02.1956	31.01.2016

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर वर्णित नामित के विरुद्ध आज तक :-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
बीकानेर

दिनांक:- 20.6.16

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/सेवानिवृत्ति/10960/10

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर
- 2 संबंधित उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- 3 संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक,
- 4 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा-प्रथम/द्वितीय
- 5 संबंधित संस्था प्रधान
- 6 सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ
- 7 संबंधित प्राध्यापक द्वारा संस्था प्रधान
- 8 निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर